विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–12 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
12	(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से अब तक जनपद–वाराणसी में कुल कितने खाद्य पदार्थ के नमूने जांच हेतु लिये गये तथा जॉच हेतु लिये नमूनों में से कितने नमूने असुरक्षित (स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्वों का पाया जाना) पाये गये तथा असुरक्षित पाये गये नमूनों से सम्बन्धित कितने खाद्य प्रतिष्ठान के लाइसेंस निलम्बित अथवा निरस्त किये गये और उनमें से कितने खाद्य प्रतिष्ठानों को बन्द कराया गया?	वित्तीय वर्ष 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से दिनांक 31–07–2022 तक जनपद वाराणसी में कुल 3509 नमूने संग्रहीत किये गये, जिनमें से 185 नमूने असुरक्षित पाये गये। असुरक्षित पाये गये नमूनों के सापेक्ष 02 खाद्य लाइसेन्स निलम्बित किये गये तथा निलम्बन अवधि के दौरान 02 खाद्य प्रतिष्ठानों को बन्द कराया गया।
	(ख) क्या कुछ खाद्य प्रतिष्ठानों के नमूने असुरक्षित पाये जाने के बावजूद भी उनके लाइसेन्स निलम्बित अथवा निरस्त न करते हुए उन्हें बन्द नहीं कराया गया है?	जी हां।
	(ग) यदि हॉ, तो ऐसे स्वेच्छाचारी उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी?	जी नहीं।
	(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	असुरक्षित पाये गये नमूनों के सापेक्ष खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में कार्यवाही हेतु आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–एफएसडीए(मु)/लाइसेंस पंजी/2012/5747, दि0–04–09–2012 एवं पत्रसं0–एफएसडीए/खाद्य/2019/1949–50, दिनांक 11–04–2019 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। तद्नुसार जनपद स्तर पर कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

RK letter